

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मुंज 55/15 तारीख रज् 31-7-17

उजवान - भूरबाई बनाम रामखिलाड़ी उर्फ जाट  
-धक गाजीपुर

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी को शोर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अलग्गट द्वारा 212 के तहत पेश किया गया। प्रमाणों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक तरफा बहस सुनी गयी प्रथम श्रेष्ठ मामला प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम चक्र गाजीपुर के खेत 470 रकबा/8 हेक्टर पर आगामी पेशी तक निर्माण नहीं करे तथा रिजर्वेशन और के को यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तसव कर दिनांक 22-8-17 को पेश हो।

4378-81  
31-7-17

  
जगदीश आर्य  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम

22-8-17 को चतुर्विंशती दरवाजे के अंदर  
दि० 26-9-17 अंतरिम फर्दी ठिकत  
की गई थी। श्री दरवाजे पर शीशु  
कुमार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर  
काल हलचल की गई प्रार्थी को सुना गया।

सुनकर प्रार्थना पत्र खिसर किया जाता है। शीशु कुमार  
देहु प्रार्थी वकील को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
5,	<p>वादीगण को तलब करने हेतु नोटिस तलबनामा पेश कर                      तलबनामा पेश होने पर नोटिस जारी कर दिनांक 5-9-17                      को पेश है</p>
5.9.17	<p>अप्रार्थी वकील उपस्थित। वादीगण के नोटिस शीघ्र                      पुनर्वाचक के लिए जारी किये गए। नोटिस तामिल विधिपत्र                      सही वही हुए हैं। पुन तलबनामा पेश करे. तामिल विधिपत्र                      कराकी जाये। भा. वि. दिनांक 12-9-17 को पेश है</p>
12.9.17	<p>वकूलाय उप. / वादी वकील ने द. श्री प्रकाश चौरा की नकल                      प्राप्त करने का एतराज दर्ज कराया। वकील उपस्थित                      को लुनवा प्रतिवादी वकील को द. श्री नरमल वादी                      वकील को द. श्री हिदायत की। नकल द. दिनांक                      गडी/ कस्त जबर द. एम वएस दि. 19-9-17 को                      पेश है</p>
19.9.17	<p>वकूलाय उप. / श्री प्रकाश चौरा का सहाय्यी नजदीक                      हात: दिनांक 26.9.17 को पेश है</p>
26.9.17	<p>वकूलाय उपस्थित। जबकि प्रार्थना पत्र अस्थाई                      निवेदानों की नकल प्रार्थी वकील को दिलाई                      गई। दिनांक 22-8-17 को प्रस्तुत द. कावत                      लि. आगे नडी बचने की नकल प्रार्थी वकील को</p>

जगदीश आर्य  
 उप जिला कलेक्टर  
 टोडाभीम

